HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16581/2026
CNR: RJHC021013972026 | URN: CRLMB / 30627U / 2026

1. Aakib S/o Ali Mohammad, Aged About 23 Years, R/o Chulhaira, Police Station Khoh, District Deeg, Rajasthan. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).
2. Parvej S/o Aajad, Aged About 20 Years, R/o Faundawas Beema, Police Station Jhirka Firozpur, District Nuh Mewat, Haryana. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).
3. Hasin S/o Aajad, Aged About 19 Years, R/o Faundawas Beema, Police Station Jhirka Firozpur, District Nuh Mewat, Haryana. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rahul Sinsinwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

25/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–खोह, जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**227/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 308(4), 308(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(a), 303(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, प्रकरण में वे दिनांक

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
09:54:05 IST

18.09.2026 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध साईबर ठगी का अपराध कारित किये जाने का आरोप है। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. आकिब पुत्र अली मौहम्मद, 2. परवेज पुत्र आजाद तथा 3. हसीन पुत्र आजाद** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/41/DINESH KUMAWAT